

विन्दु सं० 3

प्रमाणित किया जाना है कि शिकोहाबाद- भोगोव राज्य मार्ग (एस०एच० 84) के वर्तमान में 4 लेन चौड़ीकरण (किमी० 21.00 से 43.800 तक) हेतु प्राप्त प्रस्ताव से पूर्व उक्त मार्ग के चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था । वर्तमान में उक्त प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली संरक्षित वनभूमि 24.92755 हे० भूमि के आगणन में पूर्व में स्वीकृति प्रस्ताव (रिटेल आउटलेट, ओ०एफ०सी०) में प्रभावित संरक्षित वनभूमि को सम्मिलित किया गया है । जिनका विवरण संलग्न है ।

12/5/16
(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेनपुरी

विन्दु सं० 3

शिकोहाबाद- भोगोव राज्यमार्ग सं० 84 के समीप संरक्षित वनभूमि में रिटेल आउटलेट, ओ०एफ०सी० आदि की अनुमति का विवरण क्षेत्रफल सहित

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रस्ताव विभाग का नाम	SH-84 में प्रभावित क्षेत्रफल (हे०में)	स्वीकृति सं०	दिनांक	अभ्युक्ति
1	हच कम्पनी द्वारा फाइवर केबिल डालना (एन०एच० 91 किमी० 266 पार्ट से 279 पार्ट तक तथा शिकोहाबाद-भोगोव (SH-84) किमी० 22 से 63 तक भोगोव एवं मैनपुरी । कुल प्रभावित क्षेत्रफल 1.65 हे०	हचसन ईसर साउथ लि०	1.26	प्र०नि० मैनपुरी का पं० 2013/14-1	03-02-2007	
2	जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० -92 के (बेबर-इटावा रोड) किमी० 0.00 से किमी० 28.00 तक, राजमार्ग संख्या-84(शिकोहाबाद - मैनपुरी रोड) के किमी० 21.00 से किमी० 44.00, राजमार्ग संख्या- 84ए (मैनपुरी-कुरवली रोड) के किमी० 59.80 से किमी० 75.00 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 कानपुर - दिल्ली (जी०टी०रोड) के किमी० 239.00 से किमी० 242.00 तक आर्टीकर फाइवर केबिल बिछाने हेतु प्रभावित 0.7166 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । कुल प्रभावित क्षेत्रफल 0.7166 हे०	रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि०	0.2382	विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उ०प्र०, लखनऊ का पं० पी 151/ 14-2-2017-800 (159) / 2018	12-02-2018	प्रकरण में शासन स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है ।
3	मैनपुरी में शिकोहाबाद- मैनपुरी मार्ग (एस०एच०-84) के किमी० 30 से 32 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम विघई के गाटा सं० 571 में विकसित किये जा रहे इंडियन ऑयल कार्पो० लि० के रिटेल आउटलेट के सम्यर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.176 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।	इंडियन ऑयल कार्पो०	0.176	विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उ०प्र०, लखनऊ का पं० पी१३७८/१४-२-२०१५ -८००(१२०)/२०१४	दिनांक 26-6-2015	
4	मैनपुरी में शिकोहाबाद- मैनपुरी मार्ग (एस०एच०-84) के किमी० 36 से 37 के मध्य चैनैज 36.608 के बांयी पटरी पर ग्राम नौनेर के गाटा सं० 9715 में विकसित किये जा रहे इंडियन ऑयल कार्पो० लि० के रिटेल आउटलेट के सम्यर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.092976 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।	इंडियन ऑयल कार्पो०	0.092976	विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उ०प्र०, लखनऊ का पं० पी 2033/ 14-2-201 7-800(68)/ 2017	दिनांक 28-12-2017	

12/5/18
 सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मैनपुरी